न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—293/2018/223 आर.टी.एक्ट (2018/00293)

1. बर्माराम पुत्र भीया जाति रावत निवासी ग्राम गनाहेडा तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. दौलत पुत्र स्व0 नाथू
2. कमल पुत्र स्व0 नाथू
3. मदन पुत्र स्व0 भैरू
   सभी जाति कहार निवासीगण कहारों की ढाणी, आसण चौराहा, ग्राम गनाहेडा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।
4. सूरजमल पुत्र स्व0 भंवरलाल
5. पूनमचंद पुत्र स्व0 भंवरलाल
6. नौरत पुत्र स्व0 भंवरलाल (मृतक) जरिए वारिसान—
   6/1 उमराव पुत्र
   6/2 गीता पत्नि
7. लालचंद पुत्र स्व0 भंवरलाल
8. गुरमन पुत्र स्व0 नारायण
9. उमराव पुत्र स्व0 भाणू
   सभी जाति कहार निवासीगण कहारों की ढाणी, आसण चौराहा, ग्राम गनाहेडा, तहसील पुष्कर, जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पुष्कर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर राजस्व वाद संख्या 259/12 (21/2016)

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, हसन खान अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री महेन्द्र चौहान, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03.
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 10.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1,2,4 से 9 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—02.01.2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 259/12 (21/2016) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 तथा धापू बेवा नाथू द्वारा उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष राजस्व वाद धारा 53, 88, 188 वाबत खातेदारी घोषणा तकासमा व स्थाई

Scanned with CamScanner

निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया। उपरोक्त वादपत्र को विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए जाने के उपरांत पत्रावली वास्ते तलबी हेतु लगभग 3 वर्षों तक जैरकार रही है एंव दिनांक 16.04.04 को प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में निरस्त किए जाने के आदेश दिए गए है इसके पश्चात दिनांक 20.04.04 को प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर तलबी के आदेश दिए गए है एवं दिनांक 05.10.2004 को पुनः वाद पत्र अदम हाजरी में खाजिर किए जाने के आदेश दिए गए है जिसे दिनांक 02.12. 2004 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी हेतु जैरकार रही है। इसके पश्चात पत्रावली क्षेत्राधिकार बदलने से सहायक कलक्टर अजमेर में दिनांक 9.1.13 को सुनवाई हेतु आदेश दिए गए है एवं पत्रावली अपीलांट तथा रेस्पोडेंट संख्या 8 की तामिली हेतु जैरकार रही है एवं दिनांक 15.10.15 की आदेशिका अनुसार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 8 की तामिली हेतु अखबार साया में किए जाने के निवेदन पर अखबार साये के आदेश प्रदान किए गए है तथा दिनांक 18. 12.15 की आदेशिका अनुसार अखबार साया तलबी कराई जाने के पुनः आदेश दिए गए है। दिनांक 14.06.16 की आदेशिका अनुसार अखबार की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है एवं इसके पश्चात पुनः क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने से दिनांक 14.09.16 को पत्रावली स्थानान्तरित होकर उपखण्ड अधिकारीख पुष्कर के समक्ष पत्रावली दिनांक 19.12.16 को दर्ज की गई है। एवं अपीलांट तथा अन्य रेस्पोडेंट संख्या 4 लगायत 8 के विरूद्ध अनुपस्थित होना वर्णित करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 9 का जवाब लिया जाकर प्रकरण में तनकियात कायम की गई है तथा एकपक्षीय रूप से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 /वादीगण की साक्ष्य ली जाकर दिनांक 04.05.18 को प्रस्तुत वाद पत्र को एकपक्षीय स्वीकार किए जाने के आदेश पारित किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 259/12 (21/2016) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04.05.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1,2,4 से 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.18 पारित किए जाने से पूर्व प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा आक्षेपित निर्णय व डिक्री की आड में प्रार्थी के कब्जे काश्त में दखलांदजी करने पर तथा राजस्व अभिलेख में स्वयं के नाम अंकन किए जाने बाबत कार्यवाही किए जाने पर प्रार्थी द्वारा विरोध किए जाने पर स्वयं के नाम निर्णय व डिक्री अंकन होने बाबत रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा अवगत कराए जाने पर प्रार्थी द्वारा पटवारी हल्का से सम्पर्क किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.18 के बाबत अवगत कराया गया तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति मिलने उपरांत प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा उसे अपीलीय न्यायालय में चाराजोही किए जाने बाबत कहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी को उसके खातेदारी अधिकारों से महरूम करने की नियत से राजस्व वाद को एकपक्षीय रूप से बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए डिक्री किए जाने के आदेश पारित किए है। प्रार्थी को उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर एवं अधिवक्ता से निर्णय के विरूद्ध चाराजोही किए जाने हेतु विधिक जानकारी होने पर आदेश की प्रमाणित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रति उपलब्ध होने पर विधिक जानकारी की दिनांक से अंदर मियाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सद्भाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रस्तुत वाद पत्र में अपीलांट के पक्ष में स्वीकृत पंजीकृत विक्रय पत्र जो कि रेस्पोडेंट संख्या 8 के पिता भाणू पुत्र कालू के वारिसान जानकी बेवा भाणू द्वारा निहित 1/4 हिस्सा व रेस्पोडेंट संख्या 8 स्वयं के द्वारा निहित 1/4 हिस्सा आराजीयात खसरा संख्या 551 व 557 कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 18 बिस्वा में से दिनांक 26.08.2000 को किया गया है एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट बहैसियत खातेदार काबिज है को निरस्त किए जाने बाबत किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रथमतः राजस्व न्यायालयों को पंजीकृत विक्रय पत्रों को निरस्त कर खातेदारी दिए जाने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। द्वितीयतः उक्त बाबत प्रस्तुत वाद पत्र में किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद पत्र खातेदारी घोषणा हेतु संधारण योग्य नहीं था ना ही उक्त अनुतोष के बिना खातेदार घोषित किया जा सकता था। विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निर्णय व डिक्री रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में पारित किए गए है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत राजस्व वाद में पत्रावली वास्ते अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 8 तथा रामा पुत्र नारायण की तामीली हेतु लगभग 9 वर्षों तक जैरकार रही है। प्रस्तुत आदेशिकाओं के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 8 की तामिली हेतु दिनांक 11.10.10 को रजिस्टर्ड ए0डी0 नोटिस तलवाना प्रस्तुत किए जाने के आदेश पारित किए हुए है किंतु उपरोक्त नोटिस प्रस्तुत नहीं किए गए है एवं दिनांक 15.10.15 की आदेशिका अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 8 तथा रामा पुत्र नारायण जिसका स्वर्गवास हो चुका था की तामिली अखबार साया में किए जाने बाबत निवेदन किया गया एवं इसके पश्चात भी अखबार साया की प्रति लगभग 2 वर्षो तक प्रस्तुत नहीं की गई एवं दिनांक 24.06.16 के अनुसार अखबार की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर पश्चातवर्ती तामीली को वैधानिक होना मानते हुए पूर्व की आदेशिका के विरोधाभाषी रूप से बिना विधिवत तामीली के अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही किए जाने के आदेश पारित किए गए है इसके उपरांत क्षेत्राधिकार परिवर्तन होकर प्रकरण न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर से उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के समक्ष दर्ज किया गया है किंतु किसी प्रकार का नोटिस उक्त बाबत पुनः जारी नहीं किया जाकर एकमात्र रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 /वादीगण की साक्ष्य ली जाकर एकपक्षीय रूप से प्रकरण को निर्णित किए जाने के आदेश दिए गए है। रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3/वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार की दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वाद पत्र के कथनों को प्रमाणित किया जा सकें अथवा विचारण न्यायालय द्वारा निर्मित तनकीयात को प्रमाणित करने हेतु किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है जिससे उक्त तनकीयात का निर्णय रेस्पोडेंट सख्या 1 लगायत 3/वादीगण के पक्ष में किया जा सके। एकमात्र अनरजिस्टर्ड अनस्टाम्पड इकरानामा लिखतम राजस्व वाद के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसे साक्ष्य के दौरान प्रदर्श भी अंकन नहीं किया गया है, विचारण न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को आधार बताते हुए तनकी संख्या 2 में रेस्पोडेंट संख्या 8 के पिता भाणू की स्वीकृति होना बताते हुए इकरारनामे से उक्त आराजीयात को रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

3/वादीगण को सौंपना अंकित करते हुए उक्त तनकी का निर्णय एकमात्र इकरारनामे के आधार पर पंजीकृत दस्तावेज को दरकिनार करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 293 व 294, 295 दिनांक 15.09.2000 जो कि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर व विरासतन रेस्पोडेंट संख्या 8 तथा अपीलांट के नाम स्वीकृत किए गए है को एक ही दिन में स्वीकृत होना तथा संदिग्ध होना वर्णित करते हुए पंजीकृत दस्तावेज के अस्तित्व में रहते माने जाने में त्रुटि की गई है एवं उक्त संदर्भ में तनकी संख्या 1 का निर्णय अवैधानिक रूप से रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3/वादीगण के पक्ष में किए जाने में त्रुटि की गई है उक्त तनकी का निर्णय करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा स्वयं खातेदार रेस्पोडेंट संख्या 3 मदन पुत्र भैरू तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता नाथू पुत्र भैरू द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत किए गए विक्रय पत्र को शून्यकरणीय होना माना है एवं उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को बिना सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त कराए बिना जहां प्रस्तुत वाद पत्र पोषणीय नहीं रहा है तनकी संख्या 1 का निर्णय रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3/वादीगण के पक्ष में किया गया है। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 551 व 557 में से 1/6 हिस्सा जो कि रेस्पोडेंट संख्या 3 का रहा है के द्वारा मूल्यवान प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 22.6.94 को रेस्पोडेंट संख्या 8 के पिता भाणू के पक्ष में विक्रय पत्र स्वीकृत किया गया है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता नाथू पुत्र भैरू द्वारा आराजीयात खसरा संख्या 623, 624, 551 व 557 में आधे हिस्से में से 1/3 हिस्सा का बेनामा दिनांक 5.5. 1990 को रेस्पोडेंट संख्या 8 के पिता भाणू के पक्ष में स्वीकृत किया गया है इसी प्रकार उक्त आधे हिस्से में से 1/6 हिस्से के खातेदार मंगला पुत्र भैरू द्वारा भी स्वयं के जीवनकाल में रेस्पोडेंट संख्या 8 के पिता भाणू के पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया गया है अवैधानिक रूप से उक्त तथ्यों को छिपाते हुए राजस्व वाद विक्रय पत्र को छल एवं कपट से होना वर्णित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। भाणू के स्वर्गवास के पश्चात जानकी बेवा भाणू तथा रेस्पोडेंट संख्या 8 उमराव पुत्र भाणू द्वारा दिनांक 26.8.2000 व 29.8.2000 को आराजीयात खसरा संख्या 551 व 557 में से निहित 1/4–1/4 हिस्से का बेनामा अपीलांट के पक्ष में किया गया है एवं उक्त विक्रय पत्र के आधार पर अपीलांट बहैसियत खातेदार वादग्रस्त आराजीयात पर अपने हिस्से पर चला आ रहा है जिसे निर्णय व डिक्री की आड में अवैधानिक रूप से बेदखल कर महरूम किया जा रहा है। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद के विचाराधीन रहते रामा पुत्र नारायण, चंद्रा पुत्र नारायण व किस्तूरी बेवा भंवरलाल का स्वर्गवास हो चुका था जिनके कायम मुकामान को रिकार्ड पर लिए बिना एवं उक्त पक्षकारान में से चंद्रा पुत्र नारायण की तामिली हेतु प्रकरण के विचाराधीन रहते रामा पुत्र नारायण की अखबार साया की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर मृतक के विरूद्ध निर्णय व डिक्री पारित किए जाकर प्रस्तुत वाद पत्र को डिक्री किए जाने के आदेश दिए गए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जाप्ता दीवानी के आदेश 5 नियम 15, 16, 19 व 20 के विपरीत जहां स्वयं न्यायालय द्वारा जरिए पंजीकृत डाक से तामिली के आदेश पारित किए गए है पश्चावतर्ती तामिली के आदेश दिए जाकर अखबार में साया कराया जाकर अपीलांट की तामिली कराई गई है एवं अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अवैधानिक रूप से निर्णय व डिक्री रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3/वादीगण के पक्ष में पारित किए गए है जो कि प्रथम दृष्टया ही न्यायिक प्रक्रिया के विपरीत होने से एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतो के

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 04.05.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 ने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03 ने कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात ग्राम गनाहेड़ा तहसील पुष्कर व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसके खसरा नम्बर 550, 551, 556, 557, 558 कुल किता 5 का कुल रकबा 5 बीघा 8 बीस्वा है। उक्त आराजीयात में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का आधा–आधा यानि 1/2–1/2 हिस्सा निहित है तथा वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 551 रकबा 2–09–00, खसरा संख्या 557 रकबा 2–09–00 में भी प्रतिवादीगण अपने 1/2 हिस्से में मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। मंगला एवं अल्फू पुत्रान भैरू नाऔलाद फौत हो चुके है। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात में प्रतिवादी का तथा वादीगण का 1/2–1/2 हिस्सा निहित है। भाणू पुत्र कालू ने नाथू के अन्य भाईयों को बहला फुसला कर बिना किसी को प्रतिफल अदा किए दिनांक 3 मई 1990 में वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 551 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के 1/2 हिस्से एवं खसरा नम्बर 557 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा के 1/2 हिस्से की रजिस्ट्री स्वयं के नाम करवा ली। इस प्रकार से उक्त गैर कानूनी विक्रय पत्र प्रतिवादीगण के हक अधिकार एवं हिस्से पर बैअसर होकर शून्य एवं शून्यकरणीय है। भाणू के द्वारा की गई उक्त फर्जकारी के ज्ञान में आने के पश्चात नाथू ने भाणू पुत्र कालू के विरूद्ध न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग, पुष्कर में धारा 420, 467, 468, एवं 471 आई.पी.सी के अंतर्गत मुकदमा नम्बर 80/96 दर्ज करवाया तब भाणू पुत्र कालू को अपने उक्त फर्जकारी का पर्दापास होने का भय हुआ तथा जेल जाने के भय से भाणू पुत्र कालू ने दिनांक 06.06.1996 को नाथू पुत्र भैंरू की हत्या कर दी। बाद में दिनांक 18.08.1996 को भाणू पुत्र कालू गांव वालों के समक्ष हाजिर हुआ तथा भाणू पुत्र कालू ने स्वयं हाजिर होकर उक्त आराजीयात पुनः देने की बात कहते हुए एक लिखतम लिख कर दे दी तथा इसी प्रकार से भाणू पुत्र कालू ने दिनांक 26.08.1996 को एक इकरारनामा तस्दीक किया जिसके अनुसार भाणू पुत्र कालू ने उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 551 रकबा 2–09–00 तथा खसरा नम्बर 557 रकबा 2–09–00 पुनः प्रतिवादीगण को दे दिया था। तत्पश्चात भाणू पुत्र कालू की मृत्यु के पश्चात भाणू पुत्र कालू के पुत्र ने राजस्व कर्मचारियों के साथ सांठ गांठ कर भाणू पुत्र कालू की मृत्यु के पश्चात जरिए नामान्तकरण संख्या 293 दिनांक 15.09.2000 को विरासत का नामान्तकरण उमराव पुत्र भाणू एवं जानकी बैवा भाणू ने अपने नाम तस्दीक़ करवा लिया तथा उक्त अविधिक नामान्तकरण के आधार पर वादी बर्मा पुत्र भींया ने उमराव एवं जानकी से वादग्रस्त आराजीयात का बैचान स्वयं के नाम करवा लिया तथा वादी ने राजस्व कर्मचारियों से सांठ–गांठ कर जरिए नामांतकरण संख्या 293 दिनांक 15.09.2000 एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

नामांतकरण संख्या 294 दिनांक 15.09.2000 तथा नामांतकरण संख्या 295 दिनांक 15.09.2000 को केवल एक ही दिन में सारे नामांतकरण फोरी तौर पर तस्दीक करवाकर वादग्रस्त आराजीयात अपने नाम करवा लिया। इस प्रकार से उक्त समस्त फर्जकारी के आधार पर हुए हस्तान्तरण प्रतिवादी के हक अधिकारों पर शून्य एवं बातिल है तथा विवादित आराजीयात बाबत खातेदारी/काश्तकारी की उद्घोषणा प्रतिवादी के पक्ष में की जावे तथा वादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। वादग्रस्त आराजीयात बाबत् वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण ने विवादित आराजीयात बाबत् अपने हिस्से के कब्जे बाबत् दिनांक 09.07.1997 को इन्द्रा आवाज योजना के अन्तर्गत लिये गये ऋण बाबत् मूल्याकंन व उपयोगिता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।मदन पुत्र भैरू तथा दौलत पुत्र नाथू के बयानो का अवलोकन किया जिसमें दोलत पुत्र नाथू द्वारा भाणू द्वारा किये गये जालसाजी एवं फर्जीकारी को स्पष्ट किया गया है तथा दोलत पुत्र नाथू द्वारा भाणू के द्वारा किये गये दिनांक 26.08.1996 के इकरारनामें की ओर ध्यान आकर्षित किया गया जिसमें भाणू पुत्र कालू द्वारा की गई फर्जीकारी को स्वयं स्वीकार किया गया है। उक्त इकरारनामे में उक्त आराजीयात पुनः वादीगण को सौंपने की भी बात कही गयी है। इस प्रकार से भाणू पुत्र कालू द्वारा इकरारनामा दिनांक 26.09.1996, तहरीर दिनांक 18.08.1996 से भाणू पुत्र कालू द्वारा की गई फर्जीकारी स्वयं स्वीकृत है। वादग्रस्त आराजीयात का विक्रय प्रतिवादी संख्या 10 बर्मा पुत्र भिया जाति रावत निवासी गनाहेड़ा को कर दिया जो कि प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध नजर आता है। इस प्रकार से वादग्रस्त आराजीयात का बेचान प्रतिवादीगण संख्या 09 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 10 को किया गया बेचान वादीगण के हक एवं अधिकारो पर शून्य होकर शून्यकरणीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र में छः तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए विधि अनुसार विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय एवं डिक्री पारित करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। बाद मनन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषजनक होने के कारण हैं एवं अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है एवं अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 4.5.2018 के विरूद्ध हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जिसमें वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 व धापू बेवा नाथू द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत तरीके से पत्रावली पर उपलब्ध दावे, जवाब दावे के आधार पर सात तनकीयात निर्मित कर राजस्व वाद बाबत साक्ष्य लेखबद्ध कर तनकीवार निर्णय पारित किया है, तथा वादी द्वारा अपने उक्त राजस्व वाद के माध्यम से किसी भी रजिस्टर्ड दस्तावेज को शून्य घोषित किए

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

जाने की उद्घोषणा राजस्व न्यायालय से नहीं चाही गई है तथा वादीगण द्वारा विवादित आराजीयात बाबत् खातेदारी/काश्तकारी की उद्घोषणा हेतु उक्त राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात बाबत् तनकी संख्या 1 निर्मित की गई जिसको साबित करने का भार वादीगण पर था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों का पूर्ण रूप से अवलोकन कर उक्त तनकी का विस्तृत रूप से उल्लेख कर उक्त तनकी को वादी के पक्ष में निर्णित किया है चूंकि जब भाणू द्वारा वर्ष 18.06.1996 को तस्दीकतम लिखतम एवं 26.08.1996 में एक ईकरारनामा इस बाबत लिख कर दिया कि उसने फर्जकारी करते हुए यह जमीन हडपी थी जो अब उसने मूल खातेदार को संभला दी है इस संस्वीकृति से बढकर कोई साक्ष्य नहीं हो सकता। जिस प्रकार बर्माराम ने एक ही दिन विक्रय पत्र, नामांतरण की कार्यवाही की है इससे साबित होता है कि वह सद्भावी केता नही था। यहां उल्लेखनीय है कि राजस्व न्यायालयों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त करने का अधिकार नही है परन्तु जो दस्तावेजात फर्जकारी करके बनाये गये हो जहां विक्रेता ने स्वयं स्वीकृति दी हो कि उसने कूटरचित दस्तावेज निर्मित किये है तो ऐसे विक्रय पत्रों को पृथक से निरस्त करवाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो प्रारम्भतः ही शून्य है तथा जाप्ता दीवानी के आदेश 41 नियम 33 में भी यह स्पष्ट किया गया है कि अपीलीय न्यायालय की शक्ति होगी की वह कोई डिक्री पारित करें या कोई आदेश पारित करे जो पारित की जाने चाहिए थी या जो किया जाना था, ऐसा कोई अतिरिक्त या अन्य डिक्री या आदेश पारित करें, जो मामले में अपेक्षित हों और उसी शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा इस बात के होते हुए भी किया जा सकेगा कि अपील डिक्री के केवल भाग के बारे में है और यह शक्ति सभी प्रत्यर्थियों या पक्षकारों या उनमें से किसी के भी पक्ष में प्रयोग की जा सकेगी यद्यपि ऐसे प्रत्यर्थिया या पक्षकारों में कोई भी अपील या आक्षेप फाईल नहीं किया हो और जहॉ प्रतिवादों में डिक्रीयॉ हुई हों या जहॉ एक वाद में दो या अधिक डिक्रीयॉ पारित की गई है वहॉ यह शक्ति सभी डिक्रीयों या उन में से किसी के बारे में प्रयोग की जा सकेगी, यद्यपि ऐसी डिक्री के विरूद्ध अपील फाईल नहीं की गई हो। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष भी कोई ऐसे तथ्य पेश नहीं किये गये है जिससे यह प्रतीत हो कि विचारण न्यायालय द्वारा गलत तरीके से डिक्री जारी की गई हो। इसी प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत की गई रजिस्ट्री संबंधी तनकी संख्या 2 का निर्णय पत्रावली पर प्रस्तुत भाणू पुत्र कालू द्वारा दिनांक 18.06.1996 को तस्दीक लिखतम तथा दिनांक 26.8.1996 को भाणू पुत्र कालू के इकरानामे के आधार पर उक्त तनकी का निर्णय बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित किया है, इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्य तनकी संख्या 3 लगायत 6 का निर्णय उनके समक्ष उपलब्ध समस्त दस्तावेजों साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात विस्तृत रूप से प्रत्येक तनकी वार निर्णय कर वादी द्वारा प्रस्तुत उक्त राजस्व वाद का निर्णय दिनांक 4.5.2018 को किया है जहां तक कि न्यायालय द्वारा की गई कार्यवाही में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि रह जाने का उज्र उठाया जाता है तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 99 में भी यह स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी डिक्री ऐसी गलती या अनियमितता के कारण जिससे गुणावगुण या अधिकारिता पर प्रभाव पड़ता है न तो उल्टी जायेगी और ना ही उपान्तरित की जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

04.05.2018 विधि सम्मत है। जिसमें हाजा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाई जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.5.2018 में किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर उक्त आदेश को यथावत् किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांटस खारिज योग्य पाई जाने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय, पुष्कर, द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4.5.2018 को यथावत् रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 02.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner